कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)

Email – ussrgh@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक–3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है तथा नेशनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत् कार्य किए जाते है। उक्त योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

❖ **उम्मीद** :–समिति द्वारा उम्मीद नाम से दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त 76 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नई उम्मीद** :– 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरुरतमंद विशेष आवश्यकता वाले (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाऐं मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरुरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त बालगृह में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नही बता पाते है) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते है। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 53 बालक लाभान्वित है।

❖ **मातृनिलयम** :–01.07.2013 को **मातृनिलयम** नाम से स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालक विहिन, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) शिशुओं का **विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी** एवं शिशु गृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौपें गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद उपरोक्तानुसार शिशुओं के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत शिशुओं को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ–साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले पालकों को शिशु उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 67 शिशुओं को देशीय एवं 08 अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौपा गया है तथा 02 शिशुओं का अंतरदेशीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 15 शिशु निवासरत हैं। उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।

❖ **आशियाना** :– 14.09.2013 को **आशियाना** नाम से **खुला आश्रयगृह** स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद घुमन्तु, नशाशक्त, बाल श्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमशुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान में संस्था अभी पहाड़ मंदिर के पीछे लोइंग रोड़ उरांव पारा पंडरीपानी, रायगढ़ में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान संस्था में कुल 18 बच्चें निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है।

❖ **निलाचल** :– 01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 48 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **श्री चक्रधर बालिका गृह** :– 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 78 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **उम्मीद बरमकेला** :– समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नशामुक्ति कार्यक्रम** :– समिति द्वारा नशामुक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत् दिनांक 26.06.2018 को अन्तर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर पण्डरीपानी रायगढ़ एवं मिठ्ठुमुड़ा रायगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मद्य निषेध सप्ताह दिनांक 02.10.2018 से 08.10.2018 तक मद्यपान छुड़वाने लोगों के घर–घर जाकर जागरूकता दिलाया गया।

❖**नेशनल ट्रस्ट का राज्य नोडल एजेन्सी** :– वर्तमान में हमारी समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत है। नेशनल ट्रस्ट के द्वारा हमारी समिति को स्टेट नोडल एजेन्सी के रुप में चयन किया गया था तथा समिति 01 जून 2017 से 31 अगस्त 2018 तक नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य किया। उक्त एजेन्सी के द्वारा नेशनल ट्रस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों (राष्ट्रीय न्यास संबंधित दिव्यांगजनों के लिए) को पूरे छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित करवाने के लिए कार्य किया जा रहा था।

❖**निरामय** :– हमारी समिति के द्वारा राष्ट्रीय न्यास के अधीन बौध्दिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों (राष्ट्रीय न्यास संबंधित) का स्वास्थ्य बीमा कराने हेतु निरायम योजना के तहत् हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है। जिससे हितग्राहियों के स्वास्थ्य संबंधित व्यय पर उन्हें पुनर्भुगतान के आधार पर रु. 100000.00 तक का राशि मुहैया किया जा सकता है। इस योजना के तहत् संस्था द्वारा कुल 170 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। अन्य 123 हितग्राहियों का पंजीयन प्रक्रियाधीन है।

❖**घरौन्दा** :– हमारी समिति द्वारा कौहाकुण्डा, रायगढ़ छ.ग. में 01 मई 2017 से 31 मई 2018 तक वयस्क दिव्यांगजनों (राष्ट्रीय न्यास संबंधित) के लिए नेशनल ट्रस्ट के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा था। जिससे हमारे समिति के द्वारा 01 सितम्बर 2018 से संचालित किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 13 हितग्राही लाभांवित हो रहें है।

❖**समर्थ (उम्मीद बरमकेला)** :– हमारी समिति द्वारा माझापारा जगन्नथ मंदिर गली बरमकेला, रायगढ़ छ.ग में 01 जुलाई 2017 से 03 सितम्बर 2018 तक नेशनल ट्रस्ट के अधीन समर्थ (राहतकारी देखभाल केन्द्र) योजना का संचालन किया जा रहा था। इस योजना में सभी आयु समूह के (राष्ट्रीय न्यास संबंधित दिव्यांग) हितग्राहियों की देखभाल के साथ साथ फिजियोथेरेपी, विशेष शिक्षा एवं स्पीच थेरेपी आदि सुविधाऐं मुहैया कराए जा रहे थे। उक्त केन्द्र में कुल 35 हितग्राही लाभांवित हो रहे थे।

❖**दिशा** :– हमारी समिति द्वारा रायगढ़ शहर में 01 जुलाई 2017 से 31 मई 2018 तक नेशनल ट्रस्ट के अधीन दिशा (बाल्य–कालिक हस्तेक्षप और स्कूल तैयारी योजना) योजना का संचालन किया गया था। इस योजना में 10 वर्ष तक के दिव्यांग बालकों (राष्ट्रीय न्यास संबंधित दिव्यांग) को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेषनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एवं विशेष शिक्षा आदि के द्वारा विद्यालय में प्रवेष करने हेतु तैयार किया जा रहा था। हितग्राहियों के निवास स्थान से केन्द्र तक आवगमन के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध किया जा रहा था। उक्त केन्द्र में कुल 26 हितग्राही लाभान्वित हो रहे थे।

❖**यूनिक डिसाबिलिटी आईडी** :– हमारी समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए यूनिक डिसाबिलिटी आईडी के लिए ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के तहत् संस्था द्वारा 287 हितग्राहियों का पंजीयन कराया गया है।

अध्यक्ष
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)

Email – ussrgh@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक–3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा नेशनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत् कार्य किए जाते है। उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा 09 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका का विवरण निम्नानुसार है–

❖ **उम्मीद रायगढ़** :–समिति द्वारा उम्मीद रायगढ़ नाम से दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःषुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त 69 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नई उम्मीद** :– 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किषोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरुरतमंद विशेष आवष्यकता वाले (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाऐं मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरुरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त बालगृह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नही बता पाते है) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते है। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 50 बालक लाभान्वित हो रहे है।

❖ **मातृनिलयम** :–01.07.2013 को **मातृनिलयम** नाम से स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालकविहिन, एकल पालक, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) शिशुओं का **विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी** एवं शिशुगृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौपें गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद उपरोक्तानुसार शिशुओं के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत शिशुओं को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ–साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले

पालकों को शिशु उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था में निवासरत शिशुओं को सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सा, शिक्षा, फिजियोथेरेपी आदि सेवा प्रदाय किया जाता है।

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 83 शिशुओं को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौपा गया है तथा 02 शिशुओं का अंतर्देशीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 13 शिशु निवासरत हैं। उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।

❖ **आशियाना** :– 14.09.2013 को **आशियाना** नाम से **खुला आश्रयगृह** स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद घुमन्तु, नशाशक्त, बालश्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमशुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान संस्था में कुल 06 बच्चे निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है।

❖ **निलाचल** :– 01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 56 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **श्री चक्रधर बालिका गृह** :– 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 83 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **उम्मीद बरमकेला** :– समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖**एडल्ट्स उम्मीद (घरौन्दा)** :– हमारी समिति द्वारा डी 28 एवं डी 29, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 25 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖ **उम्मीद की किरण (समर्थ कम घरौंदा)** :– हमारी समिति द्वारा डी 27, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ (छ.ग.) में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों के लिए नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रयोजन से समर्थ कम घरौंदा कार्यक्रम, **उम्मीद की किरण** नाम से संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था में अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं गरीब तथा आश्रय विहिन परिवार के 6 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आजीवन निवास के साथ आवश्यक देखभाल, विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में वर्तमान कुल 27 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖ **नशामुक्ति कार्यक्रम** :– समिति द्वारा नशामुक्ति हेतु वर्षों से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसके तहत् निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजन किये गये हैं –

1. दिनांक 31.05.2019 को कौहाकुण्डा रायगढ़ में तम्बाकु निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सभा का आयोजन किया गया जिसमें तम्बाकु सेवन करने वाले व्यक्तियों के साथ–साथ अन्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए तथा अपने–अपने विचार व्यक्त किये।
2. दिनांक 26.06.2019 को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें पाम्पलेट के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति हेतु जागृत करने के लिए प्रयास किया गया।
3. दिनांक 02.10.2019 से दिनांक 08.10.2019 मद्य निषेध सप्ताह का पालन करते हुए मद्य पान करने वाले व्यक्तियों, उनके परिजनों से मिलकर उनके परिवार को मद्यपान से हुए क्षति के बारे में अवगत कराया गया तथा मद्यपान नहीं करने हेतु उन्हें जागृत कराया गया।

अध्यक्ष
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

पं. क्र. :–3235

कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)
Email – ussrgh@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक–3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा नेशनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत् कार्य किए जाते है। उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा 09 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका का विवरण निम्नानुसार है–

❖ **उम्मीद रायगढ़** :–समिति द्वारा उम्मीद रायगढ़ नाम से दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त 76 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नई उम्मीद** :– 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किषोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरुरतमंद विशेष आवष्यकता वाले (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाऐं मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरुरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त बालगृह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नही बता पाते है) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते है। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 50 बालक लाभान्वित हो रहे है।

❖ **मातृनिलयम** :–01.07.2013 को **मातृनिलयम** नाम से स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालकविहिन, एकल पालक, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) शिशुओं का **विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी** एवं शिशुगृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौपें गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद उपरोक्तानुसार शिशुओं के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत शिशुओं को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ–साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले पालकों को शिशु उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था में निवासरत शिशुओं को सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सा, शिक्षा, फिजियोथेरेपी आदि सेवा प्रदाय किया जाता है।

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 87 शिशुओं को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौपा गया है तथा 02 शिशुओं का अंतर्देशीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 14 शिशु निवासरत हैं। उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।

❖ **आशियाना** :– 14.09.2013 को **आशियाना** नाम से **खुला आश्रयगृह** स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद घुमन्तु, नशाशक्त, बालश्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमशुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान संस्था में कुल 06 बच्चे निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है।

❖ **निलाचल** :– 01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 56 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **श्री चक्रधर बालिका गृह** :– 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरुप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 81 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖**एडल्ट्स उम्मीद (घरौन्दा)** :– हमारी समिति द्वारा डी 28 एवं डी 29, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 25 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖**समर्थ कम घरौंदा** :– हमारी समिति द्वारा डी 27, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ (छ.ग.) में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों के लिए नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रयोजन से समर्थ कम घरौंदा कार्यक्रम, **उम्मीद की किरण** नाम से संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था में अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं गरीब तथा आश्रय विहिन परिवार के 6 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आजीवन निवास के साथ आवश्यक देखभाल, विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में वर्तमान कुल 17 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖ **उम्मीद बरमकेला** :– समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नशामुक्ति कार्यक्रम** :– विगत वर्षों की तरह समिति द्वारा नशामुक्ति हेतु विभिन्न प्रकार से लोगों को नशामुक्ति हेतु जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है परन्तु वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार के प्रतिबंधों के कारण लोगों को एकत्र न करते हुए दिनांक 02.10.2020 से दिनांक 08.10.2020 तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया गया जिसके तहत् रायगढ़ में संचालित विभिन्न संस्थाओं में नशामुक्ति हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)